आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर
दिनांक : 19.03.2024
समय : 0705

<><><><><><><>

- अंडमान निकोबार द्वीपसमूह की एकमात्र लोक सभा सीट के लिए अधिसूचना कल जारी की जाएगी– उम्मीदवार सत्ताईस मार्च तक अपने नाम दाखिल कर सकते है।
- निर्वाचन अधिकारी अर्जुन शर्मा ने कहा कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की सुविधा के लिए नामंकन प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है।
- श्री अर्जुन शर्मा ने मीडिया कर्मियों से Paid न्यूज़ न चलाने और चुनाव के दौरान सावधानी बरतने को कहा।
- दक्षिण अंडमान जिला पुलिस अधीक्षक ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव सम्पन्न कराने के लिए पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है।
- मध्योत्तर अंडमान ज़िला निर्वाचन अधिकारी दिलखुश मीणा ने ज़िले में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए मीडिया कर्मियों, राजनीतिक दलों और चुनाव से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक की।

<><><><><><><>

अंडमान निकोबार द्वीपसमूह की एकमात्र लोक सभा की सीट के लिए अधिसूचना कल जारी की जाएगी। उम्मीदवार सत्ताईस मार्च तक अपना नाम दाखिल कर सकते है। अट्‌ठाईस मार्च को नामकंन पत्रों की जांच की जाएगी और तीस मार्च तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकते है। द्वीपों में पहले चरण के तहत उन्नीस अप्रैल को मतदान होगा तथा मतों की गणना चार जून को की जाएगी। पोर्ट ब्लेयर में कल मीडिया को जानकारी देते हुए अंडमान निकोबार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी अर्जुन शर्मा ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना उनकी जिम्मेदारी है। चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श चुनाव आचार सहिता लागू हो गयी है और इसका उल्लघंन करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए विभिन्न प्रकार की टीम का भी गठन किया गया है।

निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपनी राजनीतिक गतिविधियां चलाने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य है। इसके लिए अनुमति प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की सुविधा के लिए नामंकन प्रकोष्ठ भी निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में स्थापित किया गया है।

<><><><><><><>

श्री अर्जुन शर्मा ने बताया कि अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में कुल चार सौ बारह मतदान केन्द्र बनाए गए है। इनमें से दक्षिण अंडमान में दो सौ तेईस, मध्योत्तर अंडमान में एक सौ बत्तीस और निकोबार ज़िले में सत्तावन मतदान केन्द्र है। इन सभी मतदान केन्द्रों में मतदान के दिन बिजली, पानी, शौचालय जैसी निश्चित न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने में मीडिया की अहम भूमिका होती है। उन्होंने सभी से Paid न्यूज़ ना चलाने की अपील करते हुए कहा कि इस तरह की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए मीडिया प्रमाणन व निगरानी समिति का गठन किया गया है।

श्री अर्जुन शर्मा ने कहा कि इस बार कुल नौ मतदान केन्द्र ऐसे बनाए गए है जहां सिर्फ महिला कर्मियों की ही तैनाती होगी और वे मतदान केन्द्रों का संचालन करेंगी। इसके अलावा कुछ आदर्श मतदान केन्द्र की भी स्थापना की गई है। ड्यूटी पर तैनात पुलिस और चुनाव कर्मियों को उनके मताधिकार का प्रयोग करने के लिए भी व्यवस्था की गई है। ऐसे सभी कर्मियों को चुनाव ड्यूटी प्रमाण पत्र जारी होंगे ताकि वे अपने अपने ड्यूटी क्षेत्र के मतदान केन्द्रों में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। उन्होंने कहा कि चुनाव कराने के लिए जरूरी सभी सुविधाओं की जांच कर ली गई है।

<><><><><><><>

दक्षिण अंडमान ज़िला पुलिस अधीक्षक निहारिका भट्‌ट ने कहा कि आदर्श चुनाव आचार सहिता का कड़ाई से पालन करने के लिए पुलिस कर्मियों को जानकारी दी गई है। इसके अलावा अर्ध सैनिक बलों के साथ भी जानकारियां साझा की गई है और आसामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

<><><><><><><>

मध्योत्तर अंडमान ज़िला उपायुक्त दिलखुश मीणा ने कल ज़िले के सभी मीडिया कर्मियों, राजनीतिक दलों और चुनाव से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें चुनाव से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर जानकारी देते हुए आदर्श आचार सहिता एवं निर्वाचन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उपायुक्त ने पाम्पलेट और पोस्टर के मुद्रण को लेकर लगे प्रतिबंधों से प्रिटिंग प्रेस के मालिको को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि चुनाव से संबंधित पाम्पलेट या पोस्टर के मुद्रण या प्रकाशन करते समय उसमें प्रिंटर और प्रकाशक का

नाम होना अनिर्वाय है बिना इसके किसी को भी चुनाव पाम्पलेट या पोस्टर छापने की अनुमति नहीं होगी। इस बैठक में चुनाव आयोग की ओर से जारी कानूनी प्रावधानों और निर्देशों के अलावा चुनावी खर्च तथा इसकी निगरानी के बारे में नेताओं को अवगत कराया गया। बैठक के दौरान सेक्टर और नोडल अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्र में चुनाव कार्यों की प्रगति के बारे में अवगत कराया। जिला उपायुक्त ने सभी संबंधितों से अनुरोध किया कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के चुनाव से संबंधित लंबित कार्य को जल्द पूरा करे। ज़िला उपायुक्त ने सभी मीडिया कर्मियों को आदर्श आचार सहिता के निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया।

<><><><><><><>

मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी ने अंडमान निकोबार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लोक सभा की एकमात्र सीट के लिए श्री डी. अय्यप्पन को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की पिछले दिनो हुई पोलिट ब्यूरो की बैठक में उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

<><><><><><><>

तकनीकी कारणों के चलते एम.वी भारत सीमा की कल की पोर्ट ब्लेयर से लिटिल अंडमान और इसी दिन रात्रि नौ बजे इसकी वापसी यात्रा को रद्द किया गया है। जिन यात्रियों ने टिकट खरीदे है। वे टिकट वापस कर अपने पैसे ले सकते है।

<><><><><><><>